भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1697
दिनांक 10.02.2026 को उत्तरार्थ

पंचायती राज संस्थाओं की सीमित भागीदारी का प्रभाव

†1697. डॉ. टी सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियनः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में प्रधानमंत्री-किसान और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पंचायती राज संस्थाओं की सीमित भागीदारी के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और पनधारा कार्यक्रमों की निधियों सहित केंद्रीय निधि को जारी किए जाने में हुए विलंब ने ग्रामीण रोजगार और सेवा सुपुर्दगी को प्रभावित किया है;

(ग) वर्ष 2024-25 के लिए तमिलनाडु को आवंटित और जारी किए गए नाबार्ड ग्रामीण विकास निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने पंचायतों को अलग रखने से उत्पन्न होने वाले प्रवासन और लाभार्थी पहचान संबंधी मुद्दों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्याप्त निधि और स्वायत्तता के माध्यम से स्थानीय निकायों की भूमिका को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) और प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) जैसी केंद्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) की भूमिका को संबंधित कार्यान्वयन मंत्रालयों / विभागों के योजना दिशानिर्देशों में परिभाषित और रेखांकित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाएँ तमिलनाडु राज्य सहित संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय स्व-शासनों की ग्राम सभा जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान और चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कुल 4.15 करोड़ घरों का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से 3.87 करोड़ घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.95 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है। पीएमएवाई-जी के अगले चरण (2024-25 से 2028-29) के लिए, पीएमएवाई-जी योजना के तहत लाभ प्रदान करने के लिए अतिरिक्त योग्य परिवारों की पहचान के लिए आवास+2024 मोबाइल ऐप का उपयोग करके एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण किया गया था। तमिलनाडु राज्य ने इस सर्वेक्षण में भाग नहीं लिया।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, योजना के विशिष्ट स्वरूप की वजह से पीएम-किसान योजना के परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों में और योजना के कार्यान्वयन में पीआरआई की भूमिका सीमित है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अधिक पारदर्शिता और जानकारी सुनिश्चित करने के लिए पंचायत में लाभार्थी सूची प्रदर्शित करने की व्यवस्था है।

(ख) महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजना के तहत धनराशि की समय पर निकासी शर्तों की पूर्ति, प्रक्रिया का अनुपालन और उपयोगिता प्रमाणपत्र आदि जैसे दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर निर्भर करती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सूचित किए जाने के अनुसार, महात्मा गांधी नरेगा के तहत, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय समय-समय पर दो किस्तों में धनराशि जारी करता है, जिसमें प्रत्येक किस्त में एक या अधिक किस्तें शामिल होती हैं, जो "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष राशि, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियाँ, समग्र प्रदर्शन और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों की प्रस्तुति के अधीन होती हैं। राज्यों के पास उपलब्ध खर्च नहीं की गई शेष राशि को समायोजित करने और लंबित देनदारियों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल के पहले भाग में पहले हस्तांतरण की पहली किस्त जारी की जाती है। दूसरा हस्तांतरण राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने और सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद जारी किया जाता है। प्रस्ताव तब प्रस्तुत किया जा सकता है जब कोई राज्य कुल उपलब्ध धनराशि का 60 प्रतिशत उपयोग कर चुका हो। इस वित्तीय वर्ष में इसे संशोधित कर के कुल निधि का 75% किया गया है। यदि दूसरे हस्तांतरण का प्रस्ताव 1 अक्टूबर के बाद प्रस्तुत किया जाता है, तो पिछले वित्तीय वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) भी आवश्यक हैं। दूसरे हस्तांतरण के रूप में जारी की जाने वाली धनराशि की मात्रा राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के प्रदर्शन और जारी की गई धनराशि के प्रति अन्य शर्तों के अनुपालन पर निर्भर करती है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 (WDC-PMKSY2.0) के वाटरशेड विकास घटक के तहत, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने तमिलनाडु में 1.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 34 वाटरशेड परियोजनाओं को मंज़ूरी दी है, जिनकी कुल परियोजना लागत 368.66 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा 221.20 करोड़ रुपये) है। वर्ष 2020-21 से 2025-26 के दौरान, राज्य को 190.43 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है और राज्य द्वारा 305.95 करोड़ रुपये का व्यय बताया गया है, जिसमें राज्य का हिस्सा और अव्ययित शेष शामिल है। इसके अलावा, SNA-SPARSH के तहत निधि जारी करने की नई व्यवस्था के तहत, वर्ष 2025-26 के दौरान, अब तक 32.42 करोड़ रुपये की राशि केंद्रीय हिस्से के रूप में राज्य को मूल अनुमोदन (मदर सेंकशन) के तौर पर जारी की गई है, जिसमें से 31.12.2025 तक 23.04 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है। इस प्रकार, तमिलनाडु के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

(ग) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के माध्यम से नाबार्ड द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु को वितरित नाबार्ड ग्रामीण विकास निधि का विवरण अनुलग्नक में है।

(घ) उत्तर के भाग (क) के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) पंचायत राज्य का विषय है और पंचायती राज मंत्रालय निरंतर आधार पर राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी सहायता करते हैं और उन्हें पूरा करते है, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और कुशल कामकाज के लिए मंत्रालय की योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता भी शामिल है। पंचायतों को वित्तीय स्वायत्तता और तकनीकी सहायता मजबूत करने तथा उन्हें स्थानीय विकास परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए, सभी वित्त आयोग अनुदान राज्यों द्वारा सीधे पंचायतों के खातों में जमा किए जाते हैं। ये निधियाँ पंचायतों द्वारा अपने स्वयं के खातों से, राज्यों की भागीदारी के बिना, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से, वित्त आयोग द्वारा टाइड और अनटाइड अनुदानों के संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार खर्च की जाती हैं। निधियों की एंड टू एंड ट्रैकिंग सुनिश्चित करने प्राप्ति से व्यय तक और किसी भी दुरुपयोग या गबन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए, सभी लेनदेन को पीएफएमएस और ईग्राम स्वराज पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान के तहत तमिलनाडु में

पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 47,764 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिनमें से अब तक 43,837.96 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

मंत्रालय वित्तीय स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए स्वयं के राजस्व स्रोतों के सृजन मुख्य रूप से जोर देते हुए विभिन्न क्षेत्रों में पीआरआई की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

इसके अलावा, मंत्रालय पंचायत हस्तांतरण सूचकांक (PDI) संकलित करने के लिए समय-समय पर अध्ययन करता है, जो राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पंचायतों को निधि, कार्यों और कार्यक्षमताओं के क्षेत्रों में दी गई शक्तियों की स्थिति की समीक्षा करता है ताकि राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके और पंचायतों को उनकी स्वायत्तता के लिए अधिक से अधिक शक्तियाँ सौंपी जा सकें। नवीनतम हस्तांतरण अध्ययन के अनुसार, तमिलनाडु का पीडीआई स्कोर 68.38 है।

तकनीकी मोर्चे पर, विशेष रूप से पंचायतों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल इंडिया पहल के तहत, मंत्रालय ने विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और अनुप्रयोग विकसित किए हैं। ईग्रामस्वराज अनुप्रयोग को पंचायत स्तर पर योजना, लेखांकन, निगरानी और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। ईग्रामस्वराज का पीएफएमएस (PFMS) के साथ एकीकरण विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में भुगतान करने में सहायता प्रदान करता है, जिससे निर्बाध धन प्रवाह सुनिश्चित होता है और विलंब में कमी आती है। पंचायत खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ईग्रामस्वराज अनुप्रयोग को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण पंचायतों को ईग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीईएम से सामान और सेवाएं खरीदने में सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए मेरी पंचायत जैसे अनुप्रयोग ने पंचायत में कार्यों की योजना, गतिविधियों और प्रगति की जानकारी जनता के लिए सुलभ बनाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया है। पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभा के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है। इसके अलावा, ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत विकसित 'ऑडिटऑनलाइन' अनुप्रयोग पंचायत खातों के ऑनलाइन ऑडिट की सुविधा प्रदान करता है और बेहतर वित्तीय प्रबंधन में सहायता करता है।

***

अनुलग्नक

पंचायती राज संस्थाओं की सीमित भागीदारी के प्रभाव के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1697 जिसका उत्तर दिनांक 10.02.2026 को दिया जाना है के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु में नाबार्ड विकास कार्यक्रमों के तहत जारी अनुदान का विवरण

निधि / कार्यक्रम	वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान वितरण (₹ लाख में)	निधि/कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण
वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ)	1,111.81	वित्तीय साक्षरता, डिजिटल ऑनबोर्डिंग, वित्तीय समावेशन अवसंरचना को सहायता प्रदान करता है और बैंकों / समुदायों को डिजिटल और समावेशी वित्तीय सेवाओं को अपनाने में सहायता करके क्षेत्रीय असमानताओं को कम करता है।
ग्राम्य विकास निधि (जीवीएन)	371.37	सतत ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए ग्रामीण नवाचार, गैर कृषि आजीविका गतिविधियों, क्लस्टर विकास, क्षमता निर्माण और ग्रामीण युवाओं और कारीगरों के लिए कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।
वाटरशेड विकास निधि	1,212.99	मृदा और जल संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, भूजल पुनर्भरण, आजीविका संवर्धन और सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित सहभागी जलागम विकास में सहायता करता है।
जनजातीय विकास निधि (टीडीएफ)	343.92	"वादी मॉडल," बागवानी आधारित आजीविका, मृदा / जल संरक्षण, पशुपालन, स्वयं सहायता समूह संवर्धन, और जनजातीय परिवारों के लिए जीवन-स्तर में सुधार के माध्यम से समग्र जनजातीय विकास का लक्ष्य है।
कृषि क्षेत्र संवर्धन निधि (एफएसपीएफ)	176.98	नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को अपनाने , जलवायु अनुकूल कृषि, मूल्य संवर्धन प्रसंस्करण, क्षमता निर्माण और बाजार संपर्क को सुदृढ़ करने में सहायता करता है, ताकि कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि हो सके।
किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)	810.95	बीज वित्तपोषण, क्षमता निर्माण, बाजार संपर्क सहायता, अवसंरचना के निर्माण, मूल्य संवर्धन गतिविधियों और परिचालन पूंजी सहायता के माध्यम से एफपीओ के गठन और सुदृढ़ीकरण में सहायता करता है।

***